भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा
लिखित प्रश्न सं. †392
सोमवार, 2 फरवरी, 2026/13 माघ, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

चिकित्सा पर्यटन का संवर्धन

†392. डॉ. थोल तिरूमावलवन:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की देश में चिकित्सा पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा देने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी राज्य सरकार द्वारा चिकित्सा पर्यटन की अवधारणा को बढ़ावा दिया गया है अथवा दिए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): चिकित्सा पर्यटन सहित पर्यटक गंतव्यों और उत्पादों का विकास और संवर्धन संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है। यह मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से चिकित्सा और निरोगता पर्यटन सहित देश के विभिन्न पर्यटन उत्पादों का संवर्धन करता है।

भारत सरकार ने चिकित्सा उपचार के लिए भारत आने वाले विदेशी नागरिकों की यात्रा को सुविधाजनक बनाने के लिए ई-मेडिकल वीजा/ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा की सुविधा प्रदान की है।

वाणिज्य मंत्रालय के अधीन सेवा निर्यात संवर्धन परिषद (एसईपीसी) ने एक व्यापक वेबसाइट, अर्थात http://www.indiahealthcaretourism.com तैयार किया है, जो मान्यता प्राप्त अस्पतालों और निरोगता केंद्रों, वीजा, स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं आदि के बारे में जानकारी प्रदान करती है। पर्यटन मंत्रालय ने अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर इस पोर्टल का लिंक प्रदान किया है।

पर्यटन मंत्रालय ने 'स्वदेश दर्शन', 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' नामक अपनी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं के माध्यम से देश में पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। केंद्रीय वित्तीय सहायता दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों/विस्तृत परियोजना रिपोर्टों के आधार पर प्रदान की जाती है।

*****